Secretary, Basic Education, U.P. Shashan, Lucknow to file an affidavit on his behalf in the abovementioned writ petition. He is as such, well acquainted with facts deposed to below.

2. That the Writ Petition, application for interim order, and the Affidavit filed in their support have been read by the deponent who has fully under stood their contents.

3. That by means of present supplementary affidavit the deponent is filing the necessary documents which are important in regard to the appointment and selection of 41, 556 candidates who have passed the Assistant Teacher Recruitment Examination 2018.

4. That the matter of recruitment of Assistant Teachers in Primary Schools is governed by the U.P. Basic Education (Teachers) Services Rules 1981(hereinafter referred as **1981 Rules**) and the State Government by virtue of Section 19 (1) of the U.P. Basic Education Act 1972 had brought an Amendment in the said Rules on 15.03.2018 as U.P. Basic Education (Teachers) Services (twenty second amendment) Rules, 2018 (hereinafter referred as

Scanned by CamScanner

2018 Amendment) wherein under Rule 14 the requirement of passing the Assistant Teacher Recruitment Examination has been introduced for recruitment of the Assistant Teachers. A copy of the notification dated 15.03.2018 in regard to U.P. Basic Education (Teachers) Services (twenty second amendment) Rules, 2018 is being filed herewith and marked as ***Annexure No.SCA-1*** to this affidavit.

5. That after conducting Assistant Teacher Recruitment Examination 2018 when the Government found that only 41556 candidates were able to qualify in the said test thereafter a proforma application form was provided by the Basic Education Board Allahabad to the NIC for making the same as an online application form for the candidates to apply for the post of Assistant Teacher in Primary School run by the State Government. A copy of the proforma of the online application is being filed herewith and marked as ***Annexure No.SCA-2*** to this affidavit.

6. That the Secretary Basic Education Board Allahabad had also written a letter dated 16.08.2018 to NIC Lucknow providing the method of preparation of merit list of the

Scanned by CamScanner

candidates who will apply for the post of Assistant Teacher in Primary School. A copy of the letter No. 7233 dated 16.08.2018 is being filed herewith and marked as ***Annexure No.SCA-3*** to this affidavit.

7. That on 16.08.2018 the Secretary Basic Education Board Allahabad had also written a letter to the State Government providing therein that after the meeting of the State Government it had been decided that the recruitment will be conducted against the 41556 posts of Assistant Teachers in Primary Schools as per the schedule providing therein the number of vacancies against each District of the State apart from the other conditions mentioned in the said circular which were necessary for a candidate for applying in the recruitment, selection process and the schedule of recruitment etc. alongwith other things . A copy of the letter No.7234 dated 16.08.2018 is being filed herewith and marked as ***Annexure No.SCA-4*** to this affidavit.

8. That on the letter dated 16.08.2018 written by the Secretary Basic Education Board, Allahabad to the State Government, a G.O. dated 18.08.2018 was issued by the State Government approving the same. A copy of the GO

Scanned by CamScanner

dated 18.08.2018 is being filed herewith and marked as ***Annexure No.SCA-5*** to this affidavit.

9. That in pursuance of the G.O dated 18.08.2018, the Secretary Basic Education Board, Allahabad had issued a circular dated 19.08.2018 providing therein the conditions and process of recruitment along with the approved number of vacancies against all the Districts of the State to all the District Basic Education Officers who are the appointing authorities of the Assistant Teachers to be appointed in the Primary Schools run by the State Government and in the circular it was also provided that in no case the request for inter District transfer will be accepted once the candidate will join in one of his preferred District. A copy of the circular dated 19.08.2018 is being filed herewith and marked as ***Annexure No.SCA-6*** to this affidavit.

10. That in pursuance of the G.O. dated 18.08.2018 and circular dated 19.08.2018 the District Basic Education Officers had issued the advertisements for appointments on the post of Assistant Teachers against the vacancies

Scanned by CamScanner

mentioned in the schedule as provided by the circular dated 19.08.2018. A copy of the advertisement is being filed herewith and marked as ***Annexure No.SCA-7*** to this affidavit.

11. That when the selection had taken place after the application forms applied by the successful candidates through online process, the National Informatics Center prepared the merit of each applicant by calculating their quality point marks and the entire allocation of the district was done by the Software developed by the National Informatics Center taking into consideration the merit, Category of the applicant and options of each applicant, with respect to the available vacancies against each category in each District.

12. That it is further stated that in the process of appointment of 41556 candidates who applied online e-form between 21.08.2018 to 28.08.2018, against the 41556 vacancies, when the District allocated after the final merit list was drawn as per schedule of U.P. Basic Education (Teachers) Services Rules 1981 (hereinafter referred as **1981 Rules**), some of the applicant belonging to reserve category stood high on merit and occupied seats in open category along with general category candidates, thereby

Scanned by CamScanner

limiting the chances of general category candidates. While some reserve category candidates did not give choices or the chances get exhausted, mere only 35420 candidates could be appointed and 6136 candidates could not be appointed, out of which 6028 in General category, 85 in O.B.C. category, 22 in S.C. category and 1 is S.T. category.

13. That to accommodate the left out 6136 candidates and to appoint them on the remaining vacancies out of 68500 i.e. 26944 posts which were available, were released so that these candidates could also be allocated Districts based on remaining available vacancies in Districts, their merit, category and preference. Therefore allocation of Districts were done in two phases and each allocation has been done by the N.I.C. by the criterion laid down as above, in a fair and transparent manner.

14. That the selected candidates were allotted the Districts as per available vacancies in the districts, their merit choices given by them and their category. The selected candidates were informed to approach the District Selection Committee and those who appeared and accepted the appointment letter were immediately offered appointment accordingly.

Scanned by CamScanner

15. That once the persons who joined in pursuance of the G.O. dated 18.08.2018 and circular dated 19.08.2018 on the basis of the merit list prepared by the N.I.C. in fair and transparent manner, they cannot challenge the process of posting, the candidates to a given District as there is no indefeasible right in favor of petitioners which provides any criteria to allow the candidate to choose the District for his appointment.

16. That when on the decision of the State Government, the NIC prepared the selection list of these 6136 candidates as per their inter-se merits and preferences given by them in their application form against the 26944 vacancies in the subsequent process it adjusted the candidates as per their merit and preference given by the candidates in the application form, therefore, in the subsequent process the candidates got the Districts of their given choices in fair and transparent manner without any human interference.

17. That no error has been committed by the Government in the said process and no person has got any right to challenge the same as there is no provision in the 1981 Rules for getting a preferred District of their choice.

Scanned by CamScanner

15

I, the deponent above named do hereby solemnly affirm and stated that the contents of paragraph nos. 1 of this affidavit are true to my personal knowledge and those of paragraph nos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15 and 16 of this affidavit are based on perusal of records, those of paragraph nos.17 of this affidavit are based on legal advice which all I believe to be true that no part of it is false and nothing material has been concealed in it.

SO HELP ME GOD

(Deponent)

I, Mirza Wajid Clerk in the office of the Chief Standing Counsel, High court Allahabad, do hereby declare that the person making this affidavit and alleging himself to be deponent is the same person and is known to me from the perusal of papers produced by him before me in this case.

(Clerk)

Solemnly affirmed before me on this day of 14th January 2019 at 9.30 a.m. a.m/~~p.m~~ by the deponent who is identified by the aforesaid person.

I have satisfied my self by examining the deponent that the he has fully under stood the contents of this affidavit, which have been read over and explained to his.

OATH COMMISSIONER

Scanned by CamScanner

35
27

Ann 4

संशोधित

प्रेषक,

सचिव,
उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद,
इलाहाबाद।

सेवा में,

विशेष सचिव,
शिक्षा अनुभाग–5, बेसिक शिक्षा,
उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांकः बे0शि0प0 / 7131 /2018–19 दिनांक –16-8-18

विषयः– परिषदीय प्राथमिक विद्यालायों में 68500 सहायक अध्यापकों की भर्ती हेतु आयोजित लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सूच्य है कि शासनादेश संख्या–2609/79–5–17–2237/2017 दिनांक 09.01.2018 द्वारा परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त 68500 पदों के प्रति भर्ती प्रक्रिया प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान की गयी है। उल्लेखनीय है कि 68500 पदों पर चयन/नियुक्ति हेतु गुणांक निर्धारण के लिए न्यूनतम अर्हताओं में से एक सहायक अध्यापक लिखित परीक्षा का परीक्षाफल दिनांक 13.08.2018 को परीक्षा नियामक प्राधिकारी उ0प्र0 इलाहाबाद द्वारा घोषित किया जा चुका है जिसमें कुल 41556 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुये है। ऐसी स्थिति में शासन में आयोजित बैठक में सम्यक विचारोपरान्त दिये गये निर्देशों के अनुरूप 41556 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया निम्नवत सम्पादित किया जाना है–

1– आवेदन हेतु पात्रताः–

क– शैक्षिक अर्हता–

भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के साथ–साथ जिसके अन्तर्गत बी0टी0सी0, द्विवर्षीय बी0टी0सी0 (उर्दू), वि0बी0टी0सी0, भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा अनुमोदित विशेष शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा या प्रारम्भिक शिक्षा (बी0एल0एड0) में चार वर्षीय उपाधि या राष्ट्रीय अध्यापक परिषद (मान्यता मानक और प्रकिया) विनियमावली–2002 के अनुसार प्रारम्भिक शिक्षा हेतु निर्धारित द्विवर्षीय डिप्लोमा प्रशिक्षण उत्तीर्ण किया हो और सरकार या भारत सरकार द्वारा संचालित कक्षा 1 से 5 हेतु अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण किया हो, और सरकार द्वारा संचालित सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा उत्तीर्ण किया हो।

ख– आयु– प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु 01 जुलाई, 2018 को न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

परन्तु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के मामलों में उच्चतर आयु सीमा 05 वर्ष अधिक होगी।

परन्तु ऐसे अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक है उनके लिए आयु की उच्चतर सीमा में छूट " यदि सेना के किसी भूतपूर्व सैनिक द्वारा सेना में की गयी सेवा की सम्पूर्ण अवधि उसकी वास्तविक आयु में से घटा दी जाती है, और यदि इस प्रकार घटायी गयी आयु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा से 03 वर्ष से अधिक न हो, तो यह समझा जायेगा कि वह ऐसी सेवाओं तथा पदों पर भर्ती की आयु से सम्बन्धित शर्तों को पूरा करता है।" लेकिन अभ्यर्थी की वास्तविक अधिवर्षता आयु (62 वर्ष) से अनधिक होनी चाहिए।

परन्तु यह भी कि विकलांग अभ्यर्थियों के मामले में उच्चतर आयु सीमा 15 वर्ष अधिक होगी किन्तु किसी भी दशा में नियुक्ति की तिथि को अभ्यर्थी की आयु 55 वर्ष से अधिक नही होगी।

परन्तु यह और भी कि शिक्षामित्र के मामले में अधिकतम आयु सीमा 60 वर्ष तक होगी।

Scanned by CamScanner

2– राष्ट्रीयता एवं निवास:– ऐसे अभ्यर्थी आवेदन हेतु पात्र होंगे जो भारत के नागरिक हों तथा उत्तर प्रदेश में आवेदन की तिथि के पूर्व निरन्तर 05 वर्ष से निवास कर रहे हों। अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर सक्षम स्तर से निर्गत निवास प्रमाण पत्र चयन/सत्यापन के समय चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

3– आरक्षण:– अभ्यर्थी को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण भर्ती के समय उत्तर प्रदेश में प्रवृत्त अधिनियम एवं राज्य सरकार के आदेश के अनुरूप देय होगा।

भूतपूर्व सैनिक(स्वयं)/विकलांग(दिव्यांग)/स्व0सं0से0 आश्रित अभ्यर्थियों को भर्ती के समय उत्तर प्रदेश में उनके सम्बन्ध में प्रवृत्त अधिनियम में उल्लिखित आरक्षण देय होगा।

4– वैवाहिक स्थिति:– चयन/नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हों।

5– चरित्र:– ऐसे अभ्यर्थी जो संघ सरकार अथवा किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन किसी अन्य संस्था से निष्कासित किये गये हों, वे नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार नैतिक अधमता अथवा किसी अन्य अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे।

6– रिक्तियों का निर्धारण– परिषदीय विद्यालयों में 68500 सहायक अध्यापकों की भर्ती हेतु आयोजित लिखित परीक्षा में वांछित संख्या से कम संख्या में अभ्यर्थी उत्तीर्ण होने तथा भारत सरकार द्वारा प्रदेश के 08 एस्पिरेशनल जनपदों– फतेहपुर, चन्दौली, सोनभद्र, सिद्धार्थनगर, चित्रकूट, बलरामपुर, बहराइच एवं श्रावस्ती में शिक्षकों की अत्यधिक कमी के परिणामस्वरूप शैक्षणिक पैरामीटर्स में अन्य जनपदों की तुलना में पिछड़े होने को दृष्टिगत रखते हुए पर्याप्त संख्या में अध्यापकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने की दृष्टि से रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन किये जाने की स्थिति बनी है। इसके अन्तर्गत 08 एस्पिरेशनल जनपदों में सम्प्रति उपलब्ध कुल रिक्तियों के 80 प्रतिशत तथा अन्य जनपदों हेतु 68500 अध्यापकों की भर्ती हेतु निर्धारित पदों में लगभग 46.25 प्रतिशत रिक्तियों पर नियुक्ति की कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया है।

7– आवेदन प्रक्रिया–

(क) किसी भी अभ्यर्थी को हार्ड कापी में आवेदन नहीं करना है।

(ख) 68500 सहायक अध्यापकों हेतु आयोजित लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण 41556 अभ्यर्थियों को परिषदीय विद्यालयों में नियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में सचिव उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय इलाहाबाद द्वारा दिनांक 18.08.2018 को प्रदेश के बहुप्रसारित दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञप्ति का प्रकाशन कराया जायेगा।

(ग) इच्छुक अर्ह अभ्यर्थियों को विज्ञापन में निर्दिष्ट वेबसाइट https://upbasiceduboard.gov.in/ पर संगत सूचनाओं सहित आनलाइन ई–आवेदन करना होगा। अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन हेतु 68500 सहायक अध्यापकों की भर्ती हेतु आयोजित लिखित परीक्षा हेतु निर्गत किया गया अनुक्रमांक, जन्मतिथि तथा मोबाइल संख्या को निर्धारित वेबसाइट पर भरना होगा जिसके उपरान्त अभ्यर्थी के उक्त मोबाइल पर ओ0टी0पी0 (वन टाइम पासवर्ड) प्राप्त होगा जिसे भरने पर ही वह आवेदन पत्र में वांछित प्रविष्टियों को पूर्ण कर सकेगा। विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा हेतु भरे गये आवेदन पत्र की प्रविष्टियां प्रदर्शित हो जायेगी जिसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। उक्त के अतिरिक्त कतिपय अन्य वांछित प्रविष्टियों को अभ्यर्थियों द्वारा भरते हुए आवेदन पत्र को पूर्ण करना होगा। एक बार आवेदन पत्र पूर्ण करने के उपरान्त उसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकेगा।

(घ) चयन/नियुक्ति प्रकिया के अन्तर्गत किसी भी अभ्यर्थी को मात्र एक ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना होगा जिसमें वह प्रदेश के इच्छित जनपदों हेतु वरीयताक्रम का निर्धारण कर सकेगा तथा वह अपने

Scanned by CamScanner

संख्याः 1267 /68-5-2018

प्रेषक,

देव प्रताप सिंह
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1- शिक्षा निदेशक, (बेसिक),
उ0प्र0 लखनऊ।

2- सचिव,
बेसिक शिक्षा परिषद,
उ0प्र0 इलाहाबाद।

शिक्षा अनुभाग-5 लखनऊ : दिनांक : 19 अगस्त, 2018

विषयः-परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 68500 सहायक अध्यापकों की भर्ती हेतु आयोजित लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का चयन/नियुक्ति।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 इलाहाबाद के पत्रांक बे0शि0प0/7134/2018-19, दिनांक 16.08.2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उपर्युक्त सम्बन्ध में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 इलाहाबाद द्वारा प्रेषित प्रस्ताव में इंगित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक की जनपदवार रिक्तियों को सुसंगत नियमावलियों एवं तद्विषयक शासनादेशों का अक्षरशः अनुपालन करते हुए निम्नलिखित संशोधनों के साथ भरने की अनुमति प्रदान की जाती है-

(i)- सहायक अध्यापक के पदों पर चयन हेतु ऐसी महिला अभ्यर्थी भी पात्र नहीं होगी जिसके एक से अधिक पति जीवित हैं।

(ii)- यदि सहायक अध्यापक के 41556 पदों में आरक्षित वर्ग की भर्ती/प्रतिपूर्ति नहीं हो पाती है तो उनके लिए 41556 के अतिरिक्त अवशेष पदों में से उतने पदों को तब तक रिक्त रखा जाएगा जब तक कि उन पदों पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की नियमानुसार नियुक्ति नहीं हो जाती।

(iii)- उक्तानुसार चयन/नियुक्ति के लिए समय-सारिणी निम्नवत् निर्धारित की जाती है-

1-	विज्ञप्ति का प्रकाशन	20.08.2018
2-	ऑन लाइन रजिस्ट्रेशन/आवेदन पत्र भरे जाने की प्रारम्भ होने की तिथि।	21.08.2018
3-	ऑनलाइन आवेदन भरने करने की अन्तिम तिथि।	28.08.2018
4-	आवेदनोपरान्त डाटा प्रोसेसिंग कर सूची परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना	31.08.2018
5-	जनपदों में काउन्सिलिंग का आयोजन	01.09.2018 से 03.09.2018
6-	जनपदों में नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाना	05.09.2018

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्त निर्देशों का अनुपालन करते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही समयबद्धता के साथ सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
(देव प्रताप सिंह)
विशेष सचिव।

A.K. GUPTA
ADVOCATE
OATH COMMISSIONER
High Court, Allahabad
Lucknow

Commissioner For Oaths

Scanned by CamScanner

इलाहाबाद" के पदनाम से निर्धारित आवेदन शुल्क (सामान्य/अ0पि0व0 हेतु रू0 500, अनुसूचित जाति/जनजाति हेतु रू0 200, विकलांगों हेतु निःशुल्क) का बैंकड्राफ्ट लेकर प्रतिभाग करना होगा।

8– शासन द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा काउन्सिलिंग के समय रू0 100 के नोटरी शपथ पत्र पर [illegible] मूल शैक्षिक एवं अन्य अभिलेख पूर्णतया सही हैं तथा वह जनपद____ में नियुक्त होने के उपरान्त अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण की मांग नहीं करेगा।

9– काउन्सिलिंग के सम्बन्ध में [illegible] बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वह काउन्सिलिंग के पूर्व ही जनपद में काउन्सिलिंग हेतु आवश्यक मानवीय तथा भौतिक संसाधनों की व्यवस्था आवश्यकतानुरूप कर लें जिससे किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या कठिनाई उत्पन्न न हो। इस सम्बन्ध में जिला प्रशासन का भी यथा आवश्यक सहयोग प्राप्त कर लें।

10– काउन्सिलिंग हेतु निर्धारित तिथियों के मध्य प्रत्येक दिन काउन्सिलिंग समाप्त होने के [illegible] दिन काउन्सिलिंग में सम्मिलित अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर पात्रता की जांच जनपदीय चयन समिति द्वारा सुनिश्चित कर ली जाये जिससे निर्धारित तिथि को नियुक्ति पत्र निर्गत किया जा सके।

11– काउन्सिलिंग स्थल पर अभ्यर्थियों की सुविधा का विशेष रूप से ध्यान रखा जाये जिससे उन्हें किसी भी प्रकार की कठिनाई न हो।

12– काउन्सिलिंग मे सभी अभ्यर्थियों के मूल अभिलेख अनिवार्य रूप से जमा कराते हुए उसकी प्राप्ति रसीद अभ्यर्थियों को उपलब्ध करायी जायेगी। नियुक्ति पत्र निर्गत होने के उपरान्त सभी अभ्यर्थियों के शैक्षिक/अन्य अभिलेखों के सत्यापन की कार्यवाही तथा जनपद के मेडिकल बोर्ड द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण अनिवार्य प्रथम वेतन भुगतान के पूर्व करा लिया जाये। अन्यथा किसी अभ्यर्थी के शैक्षिक अभिलेख फर्जी/कूटरचित पाये जाने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व जनपदीय चयन समिति का होगा।

13– काउन्सिलिंग के उपरान्त अर्ह पाये गये अभ्यर्थियों को दिनांक 05.09.2018 को नियुक्ति पत्र निर्गत किया जायेगा।

अतएव अनुरोध है कि जनपद हेतु निर्धारित पदों के प्रति चयन/नियुक्ति की कार्यवाही शासनादेश में निहित प्राविधानों तथा परिषद द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे दिशा निर्देशों तथा नियमावली में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत शुचितापूर्वक सम्पादित करना सुनिश्चित करें। उक्त कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही/शिथिलता एवं अनियमितता के प्रति कठोर कार्यवाही की जायेगी।

संलग्नक– उक्तवत्।

भवदीय

(हस्ताक्षर) 19/8/18

सचिव,
उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद,
इलाहाबाद।
19-8-18

पृ0सं0/बे0शि0प0/7263–7507/2018–19 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– विशेष सचिव शिक्षा अनुभाग–5 बेसिक शिक्षा उ0प्र0 शासन लखनऊ।
2– शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ0प्र0 लखनऊ।
3– जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि जनपद में 41556 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया अपनी देख रेख में सुचारू ढंग से सम्पादित कराने का कष्ट करें।
4– समस्त प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान उ0प्र0।
5– समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) को इस आशय से प्रेषित कि अपने मण्डल के सभी जनपदों में सहायक अध्यापकों के चयन/नियुक्ति प्रक्रिया को निर्धारित कार्यक्रमानुसार एवं नियमानुसार पूर्ण शुचिता के साथ सम्पादित कराना सुनिश्चित करें।

(हस्ताक्षर) 19/8/18

सचिव,
उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद,
इलाहाबाद।
19-8-18

A.K GUPTA
ADVOCATE
OATH COMMISSIONER
High Court Allahabad
Lucknow Bench, Lucknow
No. 5458/2 30/10/18

Scanned by CamScanner